(41)

संख्या - 6/7/2003 - स्थापना (वेतन-।।)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 नवम्बर, 2004

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा का कार्यकाल बढ़ाए जाने के संबंध में ।

अधोहस्ताक्षरी को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05 जनवरी, 1994 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/29/91-स्थापना-(वेतन-।।) के पैरा 8.4 की ओर ध्यान आकर्षित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त अनुदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि ऐसे मामले जिनमें कार्यकाल में वृद्धि, पाँचवे वर्ष के बाद अथवा भर्ती नियमों में निर्धारित अवधि से आगे दूसरे वर्ष के लिए की जाती है तो उसकी अनुमति, केवल कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का अनुमोदन लेकर ही प्रदान की जाए चाहे संबंधित मामले में केन्द्र सरकार ही सेवाएँ उधार देने वाला अथवा लेने वाला संगठन हो । इन नियमों में यह निर्धारित है कि इस संबंध में प्रस्ताव, पूर्ण ब्यौरे सहित बढ़ाए गए, कार्यकाल की समाप्ति से कम से कम **तीन माह** पूर्व, सेवाएँ उधार लेने वाले विभाग के मंत्री के अनुमोदन सहित इस विभाग के पास भेजे जाने चाहिए । निर्धारित जाँच-सूची (चेक-लिस्ट) प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी अपेक्षित है ।

2. इस विभाग के ध्यान में ऐसे प्रकरण आए हैं जिनमें इन अनुदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है । प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा के कार्यकाल को पाँचवे वर्ष के बाद आगे बढ़ाए जाने/अतिशय अवधि को नियमित किए जाने संबंधी प्रस्ताव, नेमी रूप से भेजे जाते हैं जबकि नियमों में यह निर्धारित किया गया है कि कार्यकाल में वृद्धि की मंजूरी केवल **विरली और आपवादिक** परिस्थितियों में ही दी जानी चाहिए । प्रायः ऐसे मामले तब प्राप्त होते हैं जब कार्यकाल में अपेक्षित वृद्धि की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी होती है ।

3. यह बात दोहरायी जाती है कि कार्यकाल को बढ़ाए जाने संबंधी प्रस्ताव, केवल **विरली और आपवादिक परिस्थितियों** में ही इस विभाग के पास भेजे जाएँ जहाँ प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल बढ़ाया जाना नितांत आवश्यक समझा जाए । ऐसे प्रस्ताव, पूर्ण ब्यौरे सहित बढ़ाए गए कार्यकाल की समाप्ति से कम से कम तीन माह पूर्व सेवाएँ उधार लेने वाले विभाग के मंत्री के अनुमोदन सहित इस विभाग के पास पहुँच जाने चाहिए ।

रीता माथुर

(श्रीमती रीता माथुर)

उप सचिव, भारत सरकार

.....2/-

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग/विभाग आदि (संलग्न मानक प्रेषिती सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :-

1. भारत के नियंत्रक तथा महा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली और उनके नियंत्रणाधीन सभी राज्य 400 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
2. महालेखा नियंत्रक (लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय)
3. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का सर्वोच्च न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति का सचिवालय/उप राष्ट्रपति का सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग के सचिव ।
4. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (अ.भा.से. प्रभाग/जे.सी.एम./प्रशा. अनुभाग)
5. अपर सचिव (संघ राज्य क्षेत्र) गृह मंत्रालय
6. सभी राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र
7. सचिव, राष्ट्रीय परिषद् (कर्मचारी पक्ष) 13-सी. फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
8. संयुक्त परामर्शदायी तंत्र की राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।
9. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग/पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
10. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ।
11. 500 अतिरिक्त प्रतियाँ ।

रीता माथुर

(श्रीमती रीता माथुर)
उप सचिव, भारत सरकार